एपीडा/क्यू/लैबरेक/2010
6 दिसंबर, 2010

प्रयोगशाला मान्यता मानदंड

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
तीसरी मंजिल एन.सी.यू.आई बिल्डिंग 3 सिरी सांस्थानिक क्षेत्र
अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली 110 016
दूरभाष: 26534175 फैक्स: 26519259 ई-मेल: agmqc@apeda.com
वेबसाइट www.apeda.com

एपीडा/क्यू/लैबरेक/2010
6 दिसंबर, 2010

प्रयोगशालाओं हेतु मान्यता मानदण्ड

1.0 प्रस्तावना

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में वैश्वीकरण के चलते भारतीय कृषिगत उत्पादों की मांग बढ़ गई है। उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और संपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु आयातक देशों के उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित विभिन्न मापदंडों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए इन उत्पादों की जांच करना अनिवार्य हो गया है।

कच्चे और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के गुणवत्ता मापदंडों के विश्लेषण के लिए निर्माण इकाइयों के पास अपनी घरेलू प्रयोगशाला उपलब्ध है। खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने के लिए, कीटनाशकों, दवाओं और एंटीबायोटिक्स, भारी धातुओं, एफ्लाटॉक्सिन के स्तर, सूक्ष्मजीवविज्ञानी विश्लेषण, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव विश्लेषण, भौतिक विश्लेषण जैसे रसायनों के अवशेषों के विश्लेषण आदि के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं निर्यातकों को व्यापार की सुविधा के लिए सेवाएं प्रदान करेंगी। देश के विभिन्न उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्रों के साथ-साथ विदेशी प्रयोगशालाओं में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की वाणिज्यिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क इन मान्यता मानदंडों के माध्यम से परिकल्पित किया गया है।

2.0 क्षेत्र

2.1 इन मानदंडों का दायरा निम्नलिखित विश्लेषण मापदंडों के लिए होगा:

क) रासायनिक विश्लेषण

ख) माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण

ग) जी.एम.ओ विश्लेषण

2.2 उपरोक्त मानदंड एपीडा अनुसूचित उत्पादों के निर्यात हेतु सैम्पलिंग, विश्लेषण, अवशिष्टों की निगरानी आदि के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित एपीडा अनुसूचित उत्पादों को सम्मिलित करेंगे:

1) ताज़े फल एवं सब्जियां
2) प्रसंस्करण फल एवं सब्जियां
3) अनाज (चावल, गेहूं, मक्का) और उत्पाद
4) मांस, कुक्कुट, डेयरी उत्पाद और शहद
5) नट्स एवं तिलहन (अखरोट, मूंगफली) और उत्पाद
6) ग्वार गम
7) दालें
8) अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद
9) जी.एम.ओ विश्लेषण

2.3 एपीडा द्वारा मौजूदा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्थिति में इन मानदंडों का अनुपालन प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाएगा।

3.0 उद्देश्य

3.1 एपीडा के प्रयोगशाला मान्यता मानदंड कार्यक्रम के उद्देश्य एपीडा के निर्धारित उत्पादों या भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य उत्पादों के निर्यात हेतु सैम्पलिंग, परीक्षण और अवशिष्ट निगरानी की एपीडा द्वारा किर्यान्वित योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क सथापित करना है।

3.2 इस योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को सैम्पलिंग, परीक्षण तथा अवशिष्ट निगरानी तथा एपीडा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के माध्यम से एपीडा के निर्धारित उत्पादों का निर्यात एपीडा द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली शर्तों के अनुसार होगा।

4.0 आवेदक प्रयोगशाला के लिए अनुपालन आवश्यकताएं

4.1 एपीईडीए में आवेदन करने से पहले आवेदक प्रयोगशालाओं के पास मान्यता प्राप्त करने के लिए रासायनिक, सूक्ष्मजीवविज्ञानी और जीएमओ विश्लेषण की पूरी श्रृंखला हो।

4.2 आंशिक मान्यता (जीएमओ विश्लेषण को छोड़कर) के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा

4.3 अधूरे आवेदन, भ्रामक जानकारी, आदि को संक्षेप में एपीडा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4.4 सफल प्रयोगशालाओं को निम्नलिखित के लिए मान्यता दी जाएगी:

क) एपीडा द्वारा निर्दिष्ट उत्पादों के लिए रासायनिक, सूक्ष्मजीवविज्ञानी और जीएमओ विश्लेषण।

ख) केवल उन परिसरों को मान्यता दी जाएगी जहां वास्तविक परीक्षण किया जा रहा है। यदि एक से अधिक स्थानों पर परीक्षण किया जा रहा है तब इन सभी सुविधाओं के लिए मान्यता प्राप्त करनी होगी।

5.0 प्रयोगशाला मान्यता के लिए अनुपालन आवश्यकताएं

5.1 एपीडा में आवेदन करने से पहले प्रयोगशालाएं निम्नलिखित का पालन करेंगी

क. उपयुक्त बैक-अप के साथ उच्च निवारण GC-MS / MS, HPLC-MS / MS, ICP-MS और सहायक उपकरण।

ख. मान्य प्रणालियों के साथ रासायनिक, सूक्ष्म जीवविज्ञानी, जीएमओ विश्लेषण के लिए एपीईडीए उत्पादों हेतु अवशिष्ट विश्लेषण के साथ आईएसओ/आईईसी-17025 प्रत्यायन।

ग. ताज़े एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए सैम्पलिंग एवं विश्लेषण के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के अनुसार सैम्पलिंग की प्रणालियों पर उपयुक्त प्रशिक्षण के साथ तकनीकी रूप से योग्य कर्मी।

घ. सैम्पल आरेख, विश्लेषण के साथ ही विश्लेषण के लिए सैम्पल निर्माण हेतु संवेदी (सैनिटाइज़्ड) कर्मी।

ङ. उचित क्षमता के नियंत्रित तापमान में नियंत्रण सैम्पल प्रतिधारण भंडारण।

च. सैम्पलिंग और अवशिष्ट विश्लेषण के लिए विधि सत्यापन, पीटी कार्यक्रमों में भागीदारी, अनिश्चितता का अनुमान, ट्रैसबिलिटी आदि।

5.2 जीएमओ विश्लेषण मान्यता प्राप्त करने वाली प्रयोगशालाएं उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित का भी पालन करेंगी। प्रयोगशालाएं विशेषज्ञों की सूची, सैम्पल लेने की विधि और उपकरणों की सूची और साथ ही किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी को प्रस्तुत करेंगी जो कृषि उत्पादों में जीएमओ के विश्लेषण के लिए उपयुक्त होगी। निम्नलिखित बुनियादी मानदंडों को आवेदक प्रयोगशालाओं द्वारा पूरा किया जाए:

क.) प्रयोगशाला में आरटी पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसर आदि जैसे बुनियादी उपकरण हो

ख.) प्रयोगशालाओं के पास जीएमओ के लिए सैम्पलिंग और विश्लेषण की मान्य विधि हो

ग.) प्रयोगशालाओं के तकनीकी रूप से योग्य कर्मियों के पास जीएमओ उत्पादों का विश्लेषण करने के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता हो

घ.) प्रयोगशालाओं के पास जीएमओ विश्लेषण के लिए आईएसओ- / आईईसी-17025 मान्यता हो

6.0 प्रयोगशाला मान्यता एवं नवीकरण प्रक्रिया

6.1 एपीडा मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक प्रयोगशाला द्वारा एपीडा को आवेदन शुल्क के साथ पूरी तरह से भरे हुए आवेदन को **फॉर्म I** में प्रस्तुत किया जाए।

6.2 प्रयोगशाला द्वारा **फॉर्म- II** में उपकरणों की सूची प्रस्तुत की जाए।

6.3 प्रयोगशाला द्वारा **फॉर्म- III** में योग्य कर्मियों की सूची प्रस्तुत की जाए।

6.4 आवेदक प्रयोगशाला द्वारा आईएसओ / आईईसी-17025 की प्रयोगशाला गुणवत्ता नियमावली की आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जाएगा।

6.5 सैम्पलिंग और विश्लेषण के तरीकों पर एसओपी की प्रतियां और साथ ही नियंत्रित तापमान में उत्पाद के नमूनों की अवधारण सुविधा के आरेख के लिए संवेदीकृत टीम को साक्ष्य आवेदक प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत किया जाए।

6.6 प्रत्येक उत्पाद के लिए सैम्पलिंग और विश्लेषण शुल्क आवेदक प्रयोगशाला द्वारा आवेदन के साथ एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

6.7 एपीडा में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को एपीडा द्वारा प्रयोगशाला के आकलन के निर्धारण के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला होने की आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जाएगा।

6.8 एक बार मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद, एक मूल्यांकन टीम को एपीडा द्वारा नामित किया जाएगा।

6.9 मूल्यांकन टीम प्रयोगशाला के साक्ष्य को ऑडिट करेगी और अनुबंध- I में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोगशाला की मूल्यांकन / निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

6.10 सफल प्रयोगशालाओं के लिए मान्यता रासायनिक, सूक्ष्मजीवविज्ञानी और जीएमओ विश्लेषण के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन और जनशक्ति उपलब्धता के आधार पर उत्पादों के विश्लेषण के लिए दी जाएगी।

6.11 मूल्यांकन टीम द्वारा अपनी सलाह के साथ अपनी रिपोर्ट एपीडा को प्रस्तुत की जाए। मूल्यांकन टीम के मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, एपीडा द्वारा यह तय किया जाएगा कि प्रयोगशाला को मान्यता दी जाए या नहीं।

6.12 मूल्यांकन के बाद, यदि प्रयोगशाला मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती है तो प्रयोगशाला सभी सुधारात्मक उपायों को स्थापित करने के छह महीने बाद पुन: आवेदन करने के लिए पात्र होगी।

6.13 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं सैम्पलिंग और विश्लेषण के उस किसी भी हिस्से को उप-अनुबंध नहीं करेंगी जिसे मान्यता के समान दायरे के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। उप-अनुबंध की स्थिति में, एपीडा से एक लिखित मान्यता प्राप्त किया जाएगा।

6.14 सैम्पलिंग और विश्लेषण के लिए मान्यता के साथ फॉर्म-IV के अनुसार प्रयोगशाला मान्यता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

6.15 सफल प्रयोगशाला सैम्पलिंग और विश्लेषण के निम्नलिखित सामंजस्यपूर्ण तरीकों के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर एपीडा द्वारा नामित संबंधित राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एनआरएल) द्वारा आयोजित पीटी कार्यक्रमों में भाग लेगी।

6.16 सफल प्रयोगशाला द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट उत्पादों के लिए एपीडा या एपीडा द्वारा नामित कोई अन्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित ट्रैसेबिलिटी कार्यक्रमों का हिस्सा बना जाए और एपीडा या एनआरएल द्वारा घोषित डेटा अपलोड करना, क्रोमैटोग्राम आदि प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

6.17 सैम्पलिंग, सैम्पल तैयार करने और विश्लेषण उद्देश्यों के सामंजस्यपूर्ण तरीकों का पालन करने के लिए प्रयोगशाला का ऑडिट किया जाएगा। एगमार्क ग्रेडिंग सर्टिफिकेट जारी करने हेतु प्राधिकरण के उद्देश्यों के लिए विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा प्रयोगशाला का ऑडिट भी किया जाएगा।

6.18 यदि प्रयोगशाला निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती है, तो एपीडा संबंधित मान्यता निकाय या किसी अन्य संबंधित संगठन को प्रयोगशाला की मान्यता को निलंबित करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7.0 मूल्यांकन और मूल्यांकन टीम

7.1 सैम्पलिंग और विश्लेषण के तरीकों के सत्यापन के लिए प्रयोगशाला के ऑन-साइट साक्ष्यों हेतु मूल्यांकन टीम को एपीडा द्वारा नामित किया जाएगा। नामांकित टीम ऑडिट करेगी; यदि आवश्यक हो तो प्रयोगशाला की निगरानी के साथ-साथ ऑडिट का पालन करें। मूल्यांकन टीम द्वारा एपीडा को प्रत्येक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और उनकी सलाह प्रस्तुत किया जाएगा।

7.2 मूल्यांकन टीम की संरचना परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए मूल्यांकन टीम के एपीडा पैनल से होगी, टीम स्वतंत्र और निष्पक्ष मान्यता की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी।

7.3 विदेशी आवेदक प्रयोगशालाओं के मूल्यांकन और निगरानी मूल्यांकन के संबंध में, यात्रा, आवास और आकस्मिक खर्च पर मूल्यांकन टीम का खर्च आवेदक प्रयोगशाला द्वारा वास्तविक आधार पर वहन किया जाएगा।

8.0 मान्यता की वैधता

8.1 सामान्यत: मान्यता चार साल की अवधि के लिए मान्य होगी। प्रयोगशाला मान्यता की वैधता मान्यता प्रमाण पत्र पर निर्दिष्ट की जाएगी। प्रयोगशाला वैधता की मान्यता प्रमाण पत्र पर निर्दिष्ट की जाएगी। अनुच्छेद 5.1, 5.2, और 6.1 से 6.18 में निर्धारित मान्यता के नियमों

और शर्तों को बताते हुए प्रयोगशाला द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौता ज्ञापन का विशिष्ट प्रारूप अनुबंध- II में दिया गया है।

8.2 वैधता की प्रभावी तिथि मान्यता प्रमाण पत्र में उल्लिखित होगी।

8.3 एपीडा द्वारा अपनी वेबसाइट www.apeda.com पर पंजीकृत निर्यातकों और अन्य संबंधितों को मान्यता प्राप्त / मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची प्रसारित किया जाएगा।

9.0 पुनर्संरचना का सर्वेक्षण और पुनर्मूल्यांकन

9.1 एपीडा द्वारा नामित मूल्यांकन टीम द्वारा द्वि-वार्षिक निगरानी की जाएगी। मूल्यांकन टीम अनुबंध- I में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

9.2 निगरानी का दायित्व मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का होगा जिसके विफल होने पर मान्यता स्वतः रद्द हो जाएगी।

9.3 मान्यता का नवीनीकरण उस विशेष प्रयोगशाला में परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकता और वैधता अवधि के दौरान किए गए निगरानी / आवधिक निरीक्षण के अनुसार रिपोर्ट किए गए संतोषजनक प्रदर्शन पर आधारित होगा।

10.0 आवेदन, निगरानी और पुन:मान्यता शुल्क

10.1 भारतीय प्रयोगशालाओं की स्थिति में 1,18,000 / - रुपए (केवल एक लाख अठारह हजार रुपए) और विदेशी प्रयोगशालाओं की स्थिति में 5,000 अमरीकी डॉलर (केवल पांच हजार अमरीकी डॉलर) (गैर-वापसी योग्य) के प्रसंस्करण शुल्क को आवेदन के साथ एपीडा, नई दिल्ली के लिए देय बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

10.2 मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा निगरानी आवेदन के साथ भारतीय प्रयोगशालाओं की स्थिति में 59,000 / - (उनसठ हजार रुपए) का द्वैमासिक निगरानी शुल्क और विदेशी प्रयोगशालाओं (गैर-निगरानी योग्य) की स्थिति में 2,500 अमेरिकी डॉलर (केवल पच्चीस सौ अमरीकी डॉलर) प्रस्तुत किया जाए।

10.3 प्रयोगशालाओं द्वारा चार साल की समाप्ति के बाद मान्यता रद्द होने पर भारतीय प्रयोगशालाओं की स्थिति में 1,18,000 / - रुपए (केवल एक लाख अठारह हजार रुपए) का नवीकरण शुल्क और विदेशी प्रयोगशालाओं (गैर-वापसी योग्य) की स्थित में 5,000 अमरीकी डॉलर (केवल पांच हजार अमरीकी डॉलर) के शुल्क के साथ पुन: आवेदन किया जाए।

11.0 मान्यता का प्रमाण पत्र

11.1 यदि मूल्यांकन टीम संतुष्ट करती है कि प्रयोगशाला आवश्यकताओं के अनुरूप है तो यह प्रयोगशाला की मान्यता की जाएगी।

11.2 प्रयोगशाला के लेआउट, डिजाइन या क्षमता में किसी प्रकार का बदलाव एपीडा को सूचित किया जाए।

11.3 एक बार जारी किया गया मान्यता, प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट तिथि तक लागू रहेगा जब तक उसे एपीडा द्वारा अमान्य ना किया जाए। एपीडा अपने अधिकारियों के माध्यम से औचक निरीक्षण कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रयोगशाला ने आवश्यकतानुसार मानक बनाए रखा है।

12.0 प्रयोगशाला मान्यता की अस्वीकृति/रद्दकरण

12.1 निम्नलिखित स्थितियों में मान्यता को जारी करना अस्वीकृत कर दिया जाएगा या जारी किए गए मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा:

क) यदि प्रयोगशाला आवश्यकताओं के अनुसार अनुरूप नहीं होती है या विफल रहती है।

ख) यदि किसी मालिक / निदेशक / साझेदार / ट्रस्टी के खिलाफ वित्तीय संस्थानों / बैंकों से प्रतिकूल रिपोर्ट मिलती है।

ग) यदि प्रयोगशाला का प्रबंधन करने के लिए कुशल / अर्ध-कुशल कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं।

घ) यदि निर्यातकों, आयातकों आदि से प्रतिकूल रिपोर्टें हैं।

ङ) एपीडा को किसी अन्य संस्था द्वारा की गई कोई अन्य शिकायत।

च) मान्यता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट मान्यता तिथि की समाप्ति पर।

12.2 यदि प्रयोगशाला निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती है, तो एपीडा संबंधित मान्यता निकाय या किसी अन्य संबंधित संगठन को प्रयोगशाला की मान्यता को निलंबित करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्रता पर होगा।

13.0 अपीलों का पुन: प्रकाशन / रद्द करने की घोषणा

13.1 मान्यता रद्द करने के मामले में, अपील मूल प्रमाण पत्र के साथ की जाए।

13.2 अध्यक्ष, एपीडा द्वारा मैरिट के आधार पर आवेदन पर विचार किया जाएगा और, यदि आवश्यक हो, तो प्रयोगशाला के पुनर्मूल्यांकन के समय, मूल्यांकन टीम द्वारा इंगित किए गए गैर-अनुपालन को प्रयोगशाला द्वारा ठीक किया जाएगा।

स्थान: दिल्ली
तिथि: 06.12.2010

(असित त्रिपाठी)
अध्यक्ष, एपीडा

फॉर्म - 1

मान्यता, निगरानी और नवीकरण हेतु आवेदन फॉर्म

1.	प्रयोगशाला का नाम और पता संपर्क व्यक्ति का फोन/फैक्स/ई-मेल	
2.	नया आवेदन करने के लिए (निगरानी और मान्यता के नवीनीकरण की स्थिति में) कृपया निगरानी की नियत तिथि के साथ मान्यता वैधता दें	
3.	निगमन की तिथि (कृपया प्रमाण संलग्न करें)	
4.	क्या प्रयोगशाला निम्नलिखित के लिए सैम्पलिंग और विश्लेषण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रणालियों के आधार पर एपीडा अनुसूचित उत्पादों के लिए आईएसओ/आईईसी-17025 से प्रत्यायित है: क) कीटनाशकों और अन्य रसायनों के अवशिष्टों ख) भारी धातुओं और अन्य दूषित पदार्थों के अवशिष्टों ग) दवाओं और एंटीबायोटिक दवाओं के अवशिष्टों घ) एफ्लॉटोक्सिन संदूषण ङ) माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण च) जीएमओ विश्लेषण छ) (कृपया आईएसओ / आईईसी -17025 प्रमाण पत्र और उपरोक्त क्षेत्र के अनुसार प्रतियां संलग्न करें)	
5.	वर्तमान में प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किए गए उत्पादों की सूची 1) ताज़े फल एवं सब्जियां 2) प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां 3) अनाज (चावल, गेंहू, मक्का) और उत्पाद 4) मांस, कुक्कुट, डेयरी उत्पाद और शहद 5) नट्स और तिलहन (अखरोट, मूंगफली) और उत्पाद 6) ग्वार गम 7) दालें 8) अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद	

	9) जीएमओ विश्लेषण	
6.	उपकरणों की सूची	कृपया फॉर्म-1 संलग्न करें
7.	श्रमशक्ति विवरण	कृपया फॉर्म-2 संलग्न करें
8.	क्या हाल ही में कीटनाशकों, भारी धातुओं, दवाओं और एंटीबायोटिक्स, एफ्लाटॉक्सिन, जीएमओ और सूक्ष्मजीवविज्ञानी विश्लेषण के अवशिष्टों के लिए प्रयोगशाला की सैम्पलिंग और विश्लेषण किया गया है?	
9.	क्र.सं. 5 पर उत्पादों से संबंधित पिछले तीन वर्षों के दौरान नमूनों की कुल संख्या का विश्लेषण किया गया	
10.	नियंत्रित तापमान में नियंत्रण नमूना प्रतिधारण भंडारण का विवरण	
11.	सैम्पलिंग और विश्लेषण के लिए रुचि रखने वाले उत्पाद, कृपया चिन्हित करें: 1) ताज़े फल एवं सब्जियां 2) प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां 3) अनाज (चावल, गेंहू, मक्का) और उत्पाद 4) मांस, कुक्कुट, डेयरी उत्पाद और शहद 5) नट्स और तिलहन (अखरोट, मूंगफली) और उत्पाद 6) ग्वार गम 7) दालें 8) अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद 9) जीएमओ विश्लेषण	
12.	एपीडा, नई दिल्ली के नाम पर देय आवेदन शुल्क का विवरण क) बैंकर चैक/डिमांड ड्रॉफ्ट सं. .... दिनांक .... रु. 1,18,000 ख) रेमिटेंस सलाह या बैंकरों के 5,000 अमरीकी डॉलर का चैक	

घोषणा

(क) मैं/हम .... घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने एपीडा के साथ प्रयोगशाला के लिए अनोमोदन के मापदंडों को पढ़कर समझ लिया है और मेरी/हमारी प्रयोगशाला के संबंध में उन्हें संकलित कर दिया गया है।

(ख) मैं/हम .... घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने एपीडा के साथ प्रयोगशाला के लिए अनोमोदन के मापदंडों को पढ़कर समझ लिया है और स्थान .... पर स्थित मेरी/हमारी प्रयोगशाला के संबंध में उन्हें संकलित कर दिया गया है।

(ग) मैं/हम .... एपीडा द्‌वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं की सूची में मेरी/हमारी प्रयोगशाला के नाम प्रकाशित करने पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।

वचन पत्र

मैं, ... इस योजना में उल्लिखित मान्यता की शर्तों का अनुपालन करने के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करता हूं और इस संबंध में समय समय पर एपीडा द्‌वारा जारी किए जाने वाले अनुदेशों का पालन करने तथा जब कभी मुझे प्राधिकरण द्‌वारा अपनी प्रयोगशाला का निरीक्षण कराने के लिए कहा जाएगा मैं उसका तत्काल पालन करने के प्रति भी अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। मैं यह भी समझता हूं कि उपरोक्त की अवहेलना करने पर मेरी/हमारी प्रयोगशाला को जारी किया गया मान्यता प्रमाण-पत्र रद्‌द कर दिया जाएगा।

सत्यापन

मैं .... एतद्‌वारा घोषणा करता हूं कि मेरे/हमारे द्‌वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरे/हमारे ज्ञान और विवेकानुसार पूर्णतया संपूर्ण और सत्य है तथा इस संबंध में दी गई शर्तों का पालन करने के प्रति मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं।

तिथि:
स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी
नाम और पद

(प्रयोगशाला की मुहर लगाएं)

फॉर्म - 2

विश्लेषण उपकरण विवरण

क्र.सं.	डिटेक्टरों सहित उपकरणों का नाम और खरीद की तिथि	मॉडल निर्माण वर्ष	अनुक्रम एवं परिशुद्धता	अंतिम अंशशोधन की तिथि	अगले अंशशोधन की तिथि

फॉर्म - 2

व्यवसायिक रूप से उत्तीर्ण कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं	अनुभव

संलग्नक - 1

प्रयोगशाला मूल्यांकन और निगरानी के लिए प्रारूप

1	मूल्यांकन की तिथि	
2	प्रयोगशाला का नाम	
3	पता	
4	संपर्क विवरण और संपर्क व्यक्ति	
5	कानूनी पहचान / स्थापना तिथि	
6	प्रत्यायन एवं मान्यता	
7	उत्पाद और परीक्षण जिसके लिए मान्यता प्राप्त की जाती है	
8	उपकरणों और संदर्भ मानकों की पर्याप्तता	
9	क्या उपकरण काम कर रहे हैं?	
10	उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव प्रणाली?	
11	उप अनुबंध	
12	सैम्पल संकलन की सुविधा	
13	तकनीकी / प्रशिक्षित कर्मियों की पर्याप्तता?	

14	कार्य निर्देश और प्रक्रिया	
15	तकनीकी क्षमता और योग्यता	
16	सामान्य परिवेश स्वच्छता	
17	विश्लेषण प्रणाली मानक	
18	क्या विश्लेषण के तरीके मान्य हैं	
19	पुस्तकालय सुविधाएं	
20	नियंत्रित तापमान में सैम्पल प्रतिधारण की सुविधा	
21	सैम्पल रसीद और निपटान प्रणाली	
22	पीटी कार्यक्रम	
23	शिकायत पुन: निवेदन प्रणाली	
24	सलाह टिप्पणी और निष्कर्ष	

हस्ताक्षर
टीम सदस्य
का नाम

हस्ताक्षर
टीम सदस्य
का नाम

हस्ताक्षर
टीम सदस्य
का नाम

तिथि:
स्थान:

संलग्नक -2

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एवं प्रयोगशाला के बीच समझौता ज्ञापन का प्रारूप

(उपयुक्त शुल्क वाले स्टॉम्प पेपर पर बनाया जाए)

पिछले सभी समझौतों को देखते हुए यह समझौता ज्ञापन वर्तमान में .... नई दिल्ली में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के बीच इसके अध्यक्ष श्री .... एनसीयूआई भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 (जिसे एपीडा के रूप में प्रथम पक्ष कहा जाएगा) के माध्यम से एवं .... (प्रयोगशाला) जिसे इस समझौते पर .... दिनांक .... को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है हस्ताक्षरित किया गया है।

वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता पर बल देते हुए कृषि और खाद्य पदार्थों के निर्यात विकास को प्रोन्नत करने वाला एपैक्स निकाय एपीडा प्रयोगशालाओं की पहचान वाली अपनी योजना के माध्यम से कृषि एवं खाद्य पदार्थ उद्योग को तृतीय पक्ष की गुणवत्ता आश्वासन सहायता प्रदान करा रहा है। इसके अतिरिक्त अनुमोदित प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले परीक्षणों की रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र का केंद्र बिंदू भी प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने वाली शोध एवं विकास गतिविधियों पर ही रहेगा। मानक संदर्भ सामग्री एवं इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों निर्यात के लिए गुणात्मक सामग्री का सृजन करेंगी।

मैसर्स .... (प्रयोगशाला का नाम) एक संगठन/गैर लाभांवित प्रयोगशाला, कानूनू रूप से अनुमोदित और समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गा पंजीकृट संस्था है अथवा एक वाणिज्यिक प्रयोगशाला है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली गुणवत्ता प्रणाली है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक शोध करना तथा इसे प्रोन्नत करना है।

1. मान्यता

1.1 एपीडा और .... दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत एपीडा ने .... की पहचान निम्नलिखित कार्य हेतु कर ली है:-

क) दोनों संगठनों द्वारा सहमत जहाज में लदान से पूर्व परीक्षण संबंधी लागत की निगरानी हेतु एपीडा/निर्यातक/निर्माता की अपेक्षाओं के अनुसार प्रयोगशालाओं को खाद्य पदार्थों का परीक्षण करना होगा।

ख) निर्यात के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित कृषि एवं खाद्य पदार्थों के संबंध में परीक्षण आयोजित कर परीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करना।

1) ताजा फल एवं सब्जियां
2) प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां
3) अनाज (चावल, गेहूं, मक्का) और उत्पाद
4) मांस, कुक्कुट, डेयरी उत्पाद और शहद
5) नट्स और तिलहन (अखरोट, मूंगफली) और उत्पाद
6) ग्वार गम
7) दालें
8) अन्य प्रसंस्कृत खाद्य
9) जीएमओ विश्लेषण

2. दोनों पक्ष परस्पर सहमति व्यक्त करते हैं कि

2.1 एपीडा द्वारा इस समझौते के फलस्वरूप .... को मंजूर की गई मान्यता एपीडा द्वारा जब भी आवश्यक समझा जाएगा इसकी अवधि की समीक्षा/निगरानी के अधीन एक साल की अवधि तक वैध रहेगी।

2.2 एपीडा के पास मान्यता बनाए रखने, निलंबित करने अथवा वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा अथवा इसके मान्यता के क्षेत्र को कम करने अथवा प्रयोगशाला की गतिविधियों एवं आप्रेशन को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के संबंध में अपेक्षित अथवा पूर्ण मूल्या6कन करने का अधिकार होगा जैसे कर्मचारियों अथवा उपकरणों में परिवर्तन अथवा यदि शिकायतों का मूल्यांकन अथवा किसी अन्य प्रकार की सूचनाओं से यह इंगित हो कि प्रयोगशाला अब एपीडा की अपेक्षाओं की कसौटी के मापदंडों का पालन नहीं कर रही है।

2.3 एपीडा किसी भी समय किसी भी वस्तु/उत्पाद, उत्पाद परीक्षण से संबंधित होने वाली दुर्घटनाओं एवं कर्मचारियों को होने वाले नुकसान आदि के लिए किसी प्रकार के कानूनी अथवा वित्तीय जिम्मेदारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस प्रकार के सभी उत्तरदायित्व और जिमेदारियां .... की होंगी।

3. प्रयोगशाला के लिए लागू शर्तें

3.1 प्रयोगशाला अपने ग्राहकों को ऐसे मापदंडों पर सेवाओं की सतत् आपूर्ति करेगी जिनके लिए एपीडा द्वारा उसकी मान्यता की गई है। निर्यात प्रयोजन हेतु एपीडा के किसी भी सदस्य को प्रयोगशाला अपनी मर्जी से किसी परीक्षण के लिए इंकार नहीं करेगी।

3.2 प्रयोगशाला पार्टी को अधिकतम 5 दिन के अंदर (परीक्षण की अवधि को छोड़कर) परीक्षण रिपोर्ट जारी करेगी।

3.3 प्रयोगशाला ग्राहक द्वारा जैसा मांगा जाए उसके अनुसार मानक प्रारूप पर पारीक्षण रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

3.4 एपीडा के सदस्यों के लिए प्रत्येक उत्पाद/उत्पादों के समूह के लिए विश्लेषण शुल्क एपीडा के परामर्श अनुसार निर्धारित किया जाएगा जो इस समझौते की अवधि के लिए मान्य माना जाएगा।

3.5 किसी उत्पाद के लिए विशिष्ट परीक्षण अथवा गतिविधि हेतु परीक्षण शुल्क प्रत्येक पक्ष के लिए समान रहेगा। तथपि, जब अतिरिक्त मापदंडों की सूचना दी जाती है तब यह शुल्क बदल सकता है।

3.6 प्रयोगशाला किसी बड़े परिवर्तन/उपकरण की ऐसी खराबी की सूचना तत्काल एपीडा को देगी जिसके लिए उसकी पहचान की गई है।

3.7 प्रयोगशाला की तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एपीडा/एपीडा द्वारा नामित संगठन द्वारा कार्यक्षमता परीक्षण/अंतर-प्रयोगशाला परीक्षण में भाग लेने के लिए पहचानी गई प्रयोगशाला अपनी सहमति प्रकट करेगी। इसके शुल्क का भुगतान एपीडा अथवा इसके संगठन द्वारा नहीं किया जाएगा।

3.8 प्रयोगशाला निम्नलिखित कार्यों के लिए एपीडा/एपीडा द्वारा नामित किए गए कर्मचारियों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी:-

क.) आवधिक समीक्षा/निगरानी गतिविधियां
ख.) परीक्षण का सत्यापन करने के लिए जांच कार्य हाथ में लेना
ग.) गवाही के लिए परीक्षण के किसी उपयुक्त कार्यक्रम में भागीदारी व एपीडा द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रयोगशालओं की अंतर-प्रयोगशाला संबंधी
घ.) प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियां
ङ.) शोध एवं विकास संबंधी गतिविधियां

3.9 प्रयोगशाला द्वारा मान्यता का उपयोग न तो इसके प्रकाशन और न ही एपीडा की प्रतिष्ठा पर आंच लाने के किया जाए तथा ऐसा कोसी भी वक्तव्य न दे जिससे एपीडा भामक मानता है।

3.10 मान्यता की वैधता अवधि समाप्त हो जाने के बाद तथा पहचान समाप्त कर देने के बाद प्रयोगशाला वैधता का न तो प्रकाशन करेगी और न ही उसका उपयोग करेगी।

3.11 किसी प्रयोगशाला का वैधता किसी विशिष्ट उत्पाद की मंजूरी नहीं देता है किंतु किए गए परीक्षणों के आधार पर उसकी परीक्षण रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र जारी करने कई अनुमति देती है। परीक्षण के उप-अनुबंधन की स्थिति में यह कार्य प्रयोगशाला एपीडा से लिखित में इसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही करेगी।

3.12 समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.1 (ख) के अंतर्गत यह बताया गया है कि प्रयोगशाला द्वारा निर्यात के लिए सभी परीक्षण किए गए सैमप्लों की आवधिक सूचना भेजी जाए।

3.13 प्रयोगशाला द्वारा निगरानी और मान्यता के पुन: सत्यापन की पहल की पहल की जाएगी जिसके असफल होने पर उसकी मान्यता स्वत: रद्द कर दी जाएगी।

3.14 निर्यात परीक्षण से संबंधित सभी आंकड़ों को देखने की पहुंच एपीडा के पास होगी और जब भी एपीडा द्वारा इन्हें मांगा जाएगा प्रयोगशालाओं को उन्हें प्रस्तुत करना होगा।

3.15 जैसा कि एपीडा द्वारा समय-समय पर सूचित किया जा सकता है कि प्रयोगशाला एपीडा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए सहमत होगी।

3.16 प्रयोगशाला द्वारा आंशिक विश्लेषण (जीएमओ विश्लेषण के अतिरिक्त) नहीं किया जाए।

3.17 प्रयोगशाला उन प्रयोगशालाओं के सैम्पलिंग और विश्लेषण के किसी भी हिस्से को उप-अनुबंध नहीं करेगी जिन्हें मान्यता के समान दायरे के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। उप-अनुबंध की स्थिति में एपीडा द्वारा एक लिखित मान्यता उपलब्ध की जाएगी।

3.18 प्रयोगशाला द्वारा सैम्पलिंग और विश्लेषण के निम्नलिखित सामंजस्यपूर्ण तरीकों के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर एपीडा द्वारा नामित संबंधित राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला द्वारा आयोजित पीटी कार्यक्रमों में भाग किया जाएगा।

3.19 प्रयोगशाला द्वारा एपीडा या इसके द्वारा निर्दिष्ट उत्पादों के लिए एपीडा द्वारा नामांकित किसी भी अन्य एजेंसियों द्वारा समय-समय पर लागू किए जाने वाले ट्रेसबिलिटी कार्यक्रमों का हिस्सा बना जाए और एपीडा या एनआरएल द्वारा घोषित डेटा अपलोड करना, क्रोमैटोग्राम आदि जैसी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

3.20 एपीडा द्वारा प्रयोगशाला को समय-समय पर मानदंडों के अनुसार ऑडिट किया जाएगा। सैम्पलिंग, सैम्पल तैयार करने और विश्लेषण उद्देश्यों के सामंजस्यपूर्ण तरीकों का पालन करने के लिए प्रयोगशाला का एनआरएल द्वारा ऑडिट किया जाएगा। एगमार्क ग्रेडिंग सर्टिफिकेट जारी करने हेतु प्राधिकरण के उद्देश्यों के लिए विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा प्रयोगशाला का ऑडिट भी किया जाएगा।

3.21 यदि प्रयोगशाला निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती है, तो एपीडा संबंधित मान्यता निकाय या किसी अन्य संबंधित संगठन को प्रयोगशाला की मान्यता निलंबित करने और कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र है।

4. एपीडा के उत्तरदायित्व एवं शक्तियां

एपीडा किसी भी समय निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण के लिए मान्यता की अवधि के दौरान प्रयोगशालाओं के मान्यता समाप्त कर सकती है:-

क.) यदि प्रयोगशाला सैम्पलिंग और विश्लेषण करने के लिए एपीडा पंजीकृत निर्यातकों के साथ सहयोग नहीं कर रही है।

ख.) प्रयोगशाला न तो उपयुक्त प्रकार से विश्लेषण करती है और न ही एपीडा द्वारा अपेक्षित कदम उठाती है।

ग.) यदि प्रयोगशाला दूसरे पक्ष को सूचना प्रसारित करने में संलिप्त पाई जाती है तथा परीक्षण के परिणामों वाले सैम्पलों से संबंधित पर्याप्य गोपनीयता नहीं बनाए रखती है।

घ.) प्रयोगशाला और इसके कर्मचारियों को वाणिज्यिक, वित्तीय अथवा किसी अन्य दबाव से मुक्त नहीं पाया जाता है जो परीक्षण के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।

ङ.) यदि प्रयोगशाला किसी भी रूप में एपीडा के हितों के विरुद्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है।

5. विविध

5.1 इस समझौता ज्ञापन के चलते विवाद अथवा मतभेद की स्थिति में उसे एपीडा और .... के बीच पारस्परिक चर्चा से सुलझाया जाएगा।

5.2 दूसरे पक्ष को एक महीने का निटिस देकर समझौते को रद्द किया जा सकता है।

5.3 दूसरे पक्षों द्वारा दायर किए गए मुकदमों की सुनवाई केवल दिल्ली की अदालतों में ही की जाएगी।

5.4 यह हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा और इस अवधि के समाप्त होने पर नया समझौता तैयार कर इस अवधि को अगले चार वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

5.5 प्रयोगशाला को मूल रूप से किए गए मान्यता की समाप्ति से पहले कम से कम 15 दिनों के अंदर मान्यता प्रक्रिया को आरंभ करना अनिवार्य होगा।

एपीडा के लिए और की ओर से	प्रयोगशाला के लिए और की ओर से

तिथि:

स्थान:

गवाह:

1.

2.

फॉर्म-4

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

निर्यात विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला मान्यता

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित प्रयोगशाला को एपीडा द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और उसे परीक्षणों के अपेक्षित स्तरों को पूरा करने में सक्षम पाया गया है।

1. मान्यता सं. :
2. मान्यता तिथि :
3. प्रयोगशाला का नाम एवं पता :
4. मान्यता की मान्यता :
5. निगरानी की तिथि :
6. मान्यता स्थिति
   क) रसायन विश्लेषण और/या :
   ख) माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण :
   ग) जीएमओ विश्लेषण :
7. मान्यता का स्कोप संलग्न है

एपीडा के लिए और की ओर से

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: निदेशक

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3 सिरी सांस्थनिक क्षेत्र
अगस्त क्रांति मार्ग
(खेल गांव के सामने), नई दिल्ली-110016 (भारत)
फोन नं.: 26534175 फैक्स: 26519259 ई-मेल: agmqc@apeda.com
वेबसाइट: www.apeda.com

<u>प्रपत्र के लिए संलग्नक - IV</u>

<u>मान्यता का स्कोप</u>

(जैसा कि लागू हो)

1.) ताज़े फल एवं सब्जियां

2.) प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां

3.) अनाज (चावल, गेहूं, मक्का) और उत्पाद

4.) मांस, कुक्कुट, डेयरी उत्पाद और शहद

5.) नट्स और तिलहन (अखरोट, मूंगफली) और उत्पाद

6.) ग्वार गम

7.) दालें

8.) अन्य प्रसंकृत खाद्य

9.) जीएमओ विश्लेषण

एपीडा के लिए और की ओर से

स्थान: नई दिल्ली

स्थान: निदेशक

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3 सिरी सांस्थनिक क्षेत्र
अगस्त क्रांति मार्ग
(खेल गांव के सामने), नई दिल्ली-110016 (भारत)
फोन नं.: 26534175 फैक्स: 26519259 ई-मेल: agmqc@apeda.com
वेबसाइट: www.apeda.com